अनुदान संख्या 98 – पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2499,83,00				
पूरक	Supplementary	6,27,00		2506,10,00	1138,43,07	-1367,66,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1357,41,25

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹136766.93 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹627.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹136766.93 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹627.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 55 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452"	Major Head "3452"				
पर्यटन	Tourism				
मू.	O.	225182.00			
पू.	S.	2.00	113508.75	112553.79	-954.96
पु.	R.	-111675.25			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	23900.00			
			..	..	..
पु.	R.	-23900.00			

(I) ₹26901.00 लाख का प्रावधान पाँच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹26500.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹26901.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹26500.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3452" – "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – राजस्व उत्पन्न करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर योजना" – ₹3000.00 लाख स्कीम के अंतर्गत परियोजना की शुरूआत नहीं होने के कारण थे।

(A) Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Viability Gap Scheme for Revenue Generating Tourism Projects" - ₹3000.00 lakhs - due to non-commencement of project under the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "सामान्य (पर्यटन) – संवर्धन और प्रचार – आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" – ₹2000.00 लाख; और

(ख) "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹21500.00 लाख।

(B) Major Head "2552" -

(a) "General (Tourism) - Promotion and Publicity - Domestic Promotion and Publicity including Hospitality" - ₹2000.00 lakhs; and

(b) "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation-Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - ₹21500.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3452" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(II) Under Major Head "3452" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पर्यटक अवसंरचना" –

(क) "पर्यटक केंद्र" –

(i) "पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹1102.52 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(A) "Tourist Infrastructure" -

(a) "Tourist Centres" -

(i) "Assistance to Central Agencies for Tourism Infrastructure Development" - saving of ₹1102.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(ii) "स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹37124.12 लाख की बचत (₹88300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, नए परियोजनाओं की स्वीकृति न मिलने योजना की समीक्षा की जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) "तीर्थ यात्रा कायाकल्प और अध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)" – ₹8275.96 लाख की बचत (₹20755.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य की धीमी गति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पर्यटक आवास – चैंपियन सेवा क्षेत्र स्कीम" – ₹7612.67 लाख की बचत (₹12300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के शुरू न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वदेश दर्शन – विषय आधारित पर्यटक सर्किट का समन्वित विकास" – ₹5300.00 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय" – ₹1293.97 लाख की बचत (₹3630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

(ii) "Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - saving of ₹37124.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹88300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, non-sanctioning of new projects scheme being under review and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive (PRASHAD)" - saving of ₹8275.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20755.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Tourist Accommodation - Champion Services Sector Scheme" - saving of ₹7612.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12300.00 lakhs) was due to non-commencement of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme-Based Tourist Circuits" - saving of ₹5300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "General" -

(a) "Direction & Administration - Tourist Offices Abroad" - saving of ₹1293.97 lakhs (against the sanctioned provision of

को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, भारत पर्यटक कार्यालय, न्यूयार्क के लिए किराए से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और मितव्ययिता के उपाय किए जाने के कारण हुई।

₹3630.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, requirement of less funds towards rent for India Tourist Office, New York and austerity measures.

(ख) "प्रशिक्षण" –

(b) "Training" -

(i) "सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण" – ₹3649.48 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रशिक्षण का आयोजन किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(i) "Capacity Building for Service Provider" - saving of ₹3649.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to conduction of less training owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(ii) "आईएचएमएस/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता" – ₹1705.00 लाख की बचत (₹6300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "Assistance to IHMS/FCI/IITTM/NCHMCT" - saving of ₹1705.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(ग) "संवर्धन और प्रचार – प्रत्यक्ष व्यय" – ₹42771.35 लाख की बचत (₹56700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक लॉकडाउन की वजह से कम संवर्धनात्मक कार्यकलापों को किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - saving of ₹42771.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56700.00 lakhs) was due to less promotional activities undertaken owing to Global lockdown and reduction of provision at revised estimate stage by the Ministry of Finance.

(III) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹825.01 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under two heads savings of ₹825.01 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 21 percent and 42 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹625.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3452" – "पर्यटक अवसंरचना – आरक्षित निधियों का अंतरण – महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटक स्थल के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹625.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3452" - "Tourist Infrastructure - Transfer to Reserve Fund - Safe Tourist Destination for Women".